THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) This Ministry has no information.

(b) Does not arise.

बिहार के दरभंगा जिले के पचादी गांव में अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार

1341. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 20 सितम्बर 1985 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिख कर यह मांग की थी कि बिहार के दरभंगा जिले में केवटी थाना के अंतर्गत पचादी गांव में अनुसूचित जाति के लोगो पर किए जा रहे अत्याचारों को रोका जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमागो): (क) और (ख) बिहार के दरभंगा जिले में पचादी गांव में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने की मांग के विषय में किसी संसद सदस्य से 20 सितम्बर, 1985 को इस प्रकार का कोई पत्र प्रधान मंत्री को प्राप्त हुआ प्रतीत नही होता । तथापि श्री हुक्मदेव नारायण यादव, संसद सदस्य ने बिहार के दरभंगा जिले में पचादी गांव में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के आरोपों के विषय में बिहार के मुख्य मंत्री को भेजे गये अपने ता० 20 अगस्त, 1985 के पत्र की प्रति प्रधान मंत्री को पृष्ठांकित की थी। बिहार राज्य सरकार के साथ मामला उठाया गया है ।

गुजरात के मुख्य मंत्री की कृषि मंत्री से मुलाकात

1342. **श्री रामसिंहभाई पटलीयाभाई राठवा :** (क) क्या यह सच है कि गुजरात के मुख्य मंत्री तथा कृषि ग्रामीण विज्ञान एवं खाद्य और पूर्ति मंत्री गुजरात में खाद्य एवं कृषि की स्थिति तथा सूखा व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता देने के संबंध में हाल ही में कृषि मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री से मिले थे; और

(ख) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1985-86 में गुजरात में कोई बाढ़ नहीं आयी । गुजरात के मुख्यमंत्री 17-10-85 को कृषि राज्य मंत्री और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री से मिले थे और गुजरात के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया था । उन्हें राज्य में सूखे की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया । तत्पश्चात् ज्ञापन प्राप्त हुआ और एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया । इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सहायता की मात्रा पर विचार किया जायेगा । तथापि, सीमान्त धनराशि के केन्द्रीय अंश के रूप में 14.375 करोड़ रुपये की धनराशि नियुक्त की गई है ताकि राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता की मंजूरी जारी होने तक सूखा राहत कार्यों को चला सके ।

Drinking water supply in Bangalore

1343. SHRI M. BASAVARAJU: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is scarcity of drinking water in Bangalore;

(b) whether Government have received "Cauvery Water Supply

Scheme" from the Karnataka Government for financial assistance to complete the Stage-III of the project; and

(c) if the answer to part(b) above be in the affirmative, what is Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) According to information received from the State Government, Bangalore city is having a per capita drinking water supply of 70 litres per day.

(b) and (c) A scheme for augmenting drinking water to Bangalore city by 60 mgd at an estimated cost of Rs. 240 crores was sent to this Ministry by the Government of Karnataka for posing to the World Bank. The scheme has been accorded technical clearance by this Ministry. It has also been cleared from the inter-State angle by the Ministry of Water Resources. The State Government has been requested to confirm full budget/Plan provision for the project, and also to revise the project slightly.

Government accommodation for Central Government Employees

1344. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state·

(a) what are the present priority dates covered in different types of Government accommodation; and

(b) what steps Government propose to take to provide accommodation to the Central Government employees in the waiting list?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a)

Type of Accommodation	Date of priority covered
A . .	22.3.65
B . .	7-7-56
C . .	22-6-61
D . .	10-10-55
E . .	31-12-70
E-I . .	1-1-74

E-II type of accommodation is allotted to Members of Parliament who were ex-Governors, ex-Chief Ministers and ex-Ministers in the Central Government, ex-Speaker of Lok Sabha Secretariat and other Secretary status officers. E-III type of accommodation is allotted to Ministers in office, Judges of Supreme Court etc. and other VIPs|Secretary Status officers. Therefore, generally allotments in these types are not based on the criteria of waiting list and date of priority;

(b) The Government propose to undertake construction of additional general pool residential accommodation in the Seventh Five Year Plan within the funds available.

Huller scheme of subsidy for modernisation of rice mills

1345. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state·

(a) whether the Huller scheme of subsidy for modernisation of rice mills is working satisfactorily in various States;

(b) what is the numebr of such units modernised so far;

(c) the number of demonstration trials set up; and